न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 32/2017

अपीलांट्स– ***बनाम*** **रेस्पोडेंट्स –**

श्रीमती उगमकंवर पत्नि कल्याणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मालदेता (गिड़ा) हाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बायतु
2. इन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मालदेता (गिड़ा) हाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक/राजस्व/2008/613 दिनांक 12.08.2008 जो तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री रतनाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 01 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 29/12/2020

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बायतु के द्वारा मौजा गिड़ा के खसरा नम्बर 99/4/3 रकबा 1–00 बीघा कृषि भूमि में से 2 बिस्वा के समर्पण स्वीकृति हेतु पारित आदेश दिनांक 12.08.2008 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.04.2017 को प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:38:44 IST
Reason: SelfAttested

2. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अपीलकर्ता के पति एवं उत्तरदाता संख्या 2 के पिता मुतवफी कल्याणसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति रावणा राजपूत खातेदारी का खेत खसरा नंबर 99 / 4 / 3 रकबा 1–00 बीघा किस्म बारानी सोयम मौजा गिड़ा तहसील बायतु (वर्तमान तहसील गिड़ा) में आया हुआ था। मुतवफी कल्याणसिंह के फौत होने पर उक्त भूमि अपीलांट व उत्तरदाता संख्या 2 की खातेदारी में अंकित हुई। गांव के मौजीज व्यक्ति पूर्व सरपंच हनीफ खां व तत्कालीन राजस्व मंत्री को उक्त भूमि पर स्वर्गीय कल्याणसिंह की मूर्ति लगाने हेतु प्रस्ताव दिया गया जिसपर उक्त भूमि समर्पण करने हेतु कहा गया। तत्कालीन राजस्व मंत्री द्वारा मूर्ति अनावरण एवं स्मृति भवन हेतु 10 लाख रूपये देने की घोषणा भी की गई। इस पर सरपंच हनीफ खां ने समर्पण के दस्तावेज तैयार कर अपने पास रख लिये एवं मूर्ति लगवाने हेतु पत्रावली बनाकर जिला कलक्टर बाड़मेर को भेज दी जो विचाराधीन है एवं इस पत्रावली में जिला कलक्टर द्वारा ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण–पत्र चाहा गया। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने से मना किया तब अपीलांट व रेस्पोडेंट 2 ने भी अपनी खातेदारी भूमि समर्पण करने से मना कर दिया। सरपंच हनीफा द्वारा अपीलकर्ता के उक्त खातेदारी भूमि को अन्य सार्वजनिक उपयोग में लिये जाने की बदनियती से उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा तैयार किये गये समर्पण विलेख पर अपीलकर्ता का फर्जी अंगुष्ठ निशान अंकित कर तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुत कर दिया एवं अपीलकर्ता की गैर हाजरी में हनीफ खां द्वारा पहचान देकर षडयंत्रपूर्वक अपीलकर्ता की खातेदारी भूमि में से 2 बिस्वा भूमि राज्य सरकार में समर्पण करवा दी जिसका ज्ञान अपीलकर्ता को पूर्व में कभी नहीं रहा। इस प्रकार उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनन एवं इन्साफन भूल की है। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

3. अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रकट किया कि अपीलकर्ता के पति का देहान्त अपीलाधीन आदेश पारित करने से कुछ दिन पूर्व ही हुआ था। इस कारण अपीलकर्ता सामाजिक रिवाज अनुसार देहान्त के 6 माह तक अपने घर से बाहर नहीं निकलती है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्ता का तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होना संभव ही नहीं था लेकिन सरपंच हनीफ खां द्वारा अपीलकर्ता के पुत्र उत्तरदाता संख्या 2 [illegible] स्वभाव का होने के कारण उसके भोले स्वभाव का [illegible] विलेख तैयार कर षडयंत्रपूर्वक एवं एकतरफा रूप से अपील[illegible] आदेश पारित करवा दिया। अपीलाधीन आदेश पारित होने के पश्चात [illegible]लीन सरपंच द्वारा जानबूझकर नामान्तरकरण नहीं होने दिया क्योंकि तत्समय नामान्तरकरण की कार्यवाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:38:44 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

होती तो अपीलकर्ता एवं उसके पुत्र को षडयंत्र का मालूम चल जाता। अपीलाधीन आदेश पारित होने के 9 वर्ष पश्चात दिनांक 13.04.2017 को पटवारी हलका से षडयंत्र कर नामान्तरकरण संख्या 647 खुलवाया एवं उसी दिन भूअ निरीक्षक से टिप्पणी करवाकर तहसीलदार गिड़ा से स्वीकृत कर लिया। पूर्व सरपंच हनीफ खां द्वारा राजस्व अधिकारियों को प्रभावित कर एक ही दिन में सारी कार्यवाही आनन–फानन में सम्पन्न करवा ली जिसका ज्ञान अपीलकर्ता को पूर्व में कभी नहीं रहा। दिनांक 13.04.2017 को अपीलकर्ता ने अपनी खातेदारी भूमि को बेचान करने हेतु हलका पटवारी से जमाबंदी की प्रति चाही तब पटवारी हलका द्वारा बताया कि आपकी भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित हो चुकी है जिसका म्यूटेशन आज ही तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित किया गया है तब अपीलकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उसी दिन दिनांक 13.04.2017 को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की तथा इस षडयंत्रपूर्वक अपीलाधीन कार्यवाही की सर्वप्रथम जानकारी हुई। ऐसी स्थिति में जानकारी से यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत है फिर भी जो विलम्ब हुआ है उसे माफ करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपीलकर्ता की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब में प्रकट किया कि अपीलांट व उत्तरदाता संख्या 2 ने दिनांक 12.08.2008 को तहसीलदार बायतु के समक्ष उपस्थित होकर सरहद मौजा गिड़ा के खसरा नंबर 99 / 4 / 3 रकबा 1–00 बीघा खातेदारी भूमि में से 2 बिस्वा भूमि राजस्थान सरकार के पक्ष में समर्पण करने का एक समर्पण विलेख प्रस्तुत किया। अपीलांट व उत्तरदाता संख्या 2 की पहचान तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत गिड़ा द्वारा की गई। समर्पण विलेख में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि यह लिखित हम इन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह, उगमकंवर पत्नि कल्याणसिंह ने सोच समझकर, बिना किसी दबाव, होश हवास, तन्दुरूस्ती की हालत में लिख दिया है जो सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश किसी भी दबाव अथवा षडयंत्रपूर्वक कार्यवाही में पारित नहीं किया गया है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 55 के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में किया जाने वाला समर्पण बिना किसी शर्त व निर्बंधन के अधीन होता है इसलिये अपीलांट का यह कथन कि उसने उक्त भूमि अपने पति को भूमि बचाने हेतु समर्पण का प्रस्ताव दिया था, मानने योग्य नहीं है। किसी भी खातेदार द्वारा एक बार अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:38:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

खातेदारी भूमि बिना शर्त समर्पण किये जाने उपरान्त पुनः प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट व उत्तरदाता संख्या 2 की स्वयं की उपस्थिति में पारित किया गया है जिसकी जानकारी उन्हें प्रारम्भ से थी तथा यंह अपील मयाद बाहर होने से भी खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की यह अपील उपर्युक्त आधार पर मेरिट व मयाद के बिन्दु पर खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

5. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेखों का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट व उत्तरदाता संख्या 2 ने दिनांक 12.08.2008 को तहसीलदार बायतु के समक्ष उपस्थित होकर सरहद मौजा गिड़ा के खसरा नंबर 99/4/3 रकबा 1–00 बीघा खातेदारी भूमि में से 2 बिस्वा भूमि राजस्थान सरकार के पक्ष में समर्पण करने का एक समर्पण विलेख प्रस्तुत किया। अपीलांट व उत्तरदाता संख्या 2 की पहचान तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत गिड़ा द्वारा की गई। अपीलांट का कथन है कि सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा मूर्ति स्थापित करने हेतु जिला कलक्टर कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से मना किये जाने पर उनकी ओर से भी भूमि समर्पण से इनकार किया गया था किन्तु सरपंच ग्राम पंचायत के पास पूर्व में तैयार किये गये समर्पण दस्तावेज होने से उसके द्वारा षडयंत्रपूर्वक उक्त दस्तावेज तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर भूमि समर्पण करवा दी गई। इस संबंध में अपीलकर्ता द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत पर षडयंत्र का आरोप लगाया है किन्तु इस संबंध में उसकी ओर से किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही किये जाने का कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबतक इस अपीलाधीन कार्यवाही को षडयंत्रपूर्वक होना साबित नहीं किया जाता है इस अपील में कोई कार्यवाही किया जाना विधिसम्मत नहीं होगा। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अपीलाधीन अभिलेख के अवलोकन से अपीलांट व उत्तरदाता संख्या 2 की तहसीलदार बायतु के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थिति अभिलिखित है तथा अपीलांट की ओर से निष्पादित समर्पण अभिलेख भी विधि अनुसार तस्दीक किया गया है। ऐसे में अपीलाधीन कार्यवाही में किसी प्रकार की विधिक या वाकयाति भूल होना नहीं पाया जाता है। यदि अपीलांट उ[illegible]धीन कार्यवाही में उसके विरूद्ध किसी प्रकार का षडयंत्र होना मानती [illegible] तो उसे सक्षम न्यायालय में विधिक कार्यवाही प्रस्तुत कर [illegible] चाहिये। फलतः अपीलाधीन कार्यवाही में किसी प्रकार की कोई अवैधा[illegible]ता नहीं पाये जाने से प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 16:38:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर अधारित होने एवं मयाद बाहर होने से खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.08.2008 को यथावत बहाल रखा जाता हैं।

7. निर्णय आज दिनांक 29.12.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर,
बाडमेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:38:44 IST
Reason: SelfAttested